


## सूचना

CWJC No.-6153/2017 (सूर्यकान्त बनाम बिहार राज्य एवं अन्य), CWJC No.-6210/2017 (छविशंकर वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा CWJC No.-8672/2017 (अशोक कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) जो पारस्परिक सहमति के आधार पर राज्य आवंटित वादी कार्यपालक अभियंताओं से संबंधित हैं में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समेकित रूप से पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या-11299 (एस) दिनांक 02.08.2010 द्वारा निर्गत सिविल लिस्ट तथा अधिसूचना संख्या-3953 (एस), दिनांक 04.04.2011 द्वारा निर्गत वरीयता सूची में माननीय उच्चतम न्यायालय में गृह विशेष विभाग द्वारा दायर SLP के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ निम्न रूपेण पुनर्स्थापन प्रस्तावित है :-

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विभागीय अधिसूचना संख्या-11299 (एस), दिनांक 02.08.2010 द्वारा निर्गत सिविल लिस्ट क्रमांक	विभागीय अधिसूचना संख्या-3953 (एस), दिनांक 04.04.2011 द्वारा निर्गत वरीयता सूची क्रमांक
1	2	3	4
1	श्री सूर्यकान्त	251A	161A
2	श्री छवि शंकर वर्मा	281A	191A
3	श्री दीपक कुमार सिंह	295A	204A
4	श्री अशोक कुमार झा	315A	249A

उक्त सिविल लिस्ट क्रमांक एवं वरीयता क्रमांक में प्रस्तावित पुनर्स्थापन पर यदि किन्हीं को आपत्ति हो तो एक सप्ताह के अंदर अपना दावा/आपत्ति विभाग को उपलब्ध करा सकते हैं।

  
(मिथिलेश कुमार)  
उप सचिव (प्र०को०)  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।